

# न्यायालय अति० जिला कलक्टर कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड

प्रार्थना पत्र स०-182/2025

पीठासीन अधिकारी-ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)

राज्य सरकार जरिये, पुष्पेन्द्र सिंह चौधरी, प्रवर्तन अधिकारी, कोटपूतली-बहरोड

---प्रार्थी

बनाम

श्री दीपक सैनी पुत्र श्री कृष्ण सैनी, देसी जायका होटल बहरोड, जिला कोटपूतली-बहरोड।

---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाये जाने पर जब्तसुदा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों मय एल. पी.जी. गैस को जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात कराने बाबत।

उपस्थित:-

1. पैरोकर रसद प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी उपस्थित।


निर्णय

दिनांक 6/4/25

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र सिंह चौधरी द्वारा न्यायालय हाजा में इस आशय का पेश किया है कि दिनांक 09-10-2025 को घरेलू गैस की अवैध उपयोग/कालाबाजारी होने की लिखित शिकायत पर श्रीमान जिला रसद अधिकारी कोटपूतली-बहरोड तथा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बहरोड से प्राप्त निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं श्री विश्राम गुर्जर के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर, देसी जायका होटल बहरोड श्री दीपक सैनी द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग करते पाये गये। जिससे मौके पर बहरोड इण्डेन गैस के प्रतिनिधी श्री शशिकान्त शर्मा को बुलाकर उक्त सिलेण्डरों का वजन करवाया गया। इस प्रकार श्री दीपक सैनी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग कर स्वयं के लाभ प्राप्त करने के हित को स्पष्ट करता है जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के उपबन्धों का स्पष्ट उल्लंघन है। मौके पर उक्त आदेश का उल्लंघन स्पष्ट पाये जाने पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा मय 6.2 किग्रा. एलपीजी, को जब्त सरकार किया गया एवं सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स बहरोड इण्डेन गैस एजेन्सी के मैनेजर शशिकान्त की सुपुर्दगी में नियमानुसार वजन करवाकर दिया गया। फर्द जल्दी, फर्द सुपुर्दगी एवं फर्द मौका जांच रिपोर्ट के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटपूतली बहरोड में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।
2. प्रकरण अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैराकार ने जब्त गैस सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धार-6ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान किये गये। अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया।

अति. जिला कलक्टर  
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड)

3. अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया । उभयपक्ष की बहस सुनी गई। जिसमें प्रार्थी सरकार पैरोकार ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. घरेलू गैस सिलेण्डर को रेगुलेटर एवं नलिका के माध्यम से जोड़कर व्यवसायिक उपयोग कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन किया है तथा धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है। जिस पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा मय 6.2 किग्रा. एलपीजी को जब्त किया गया जिसे राजसात करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अज्ञानता और जल्दबाजी के कारण प्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग भूलवश कर लिया है, भविष्य में प्रार्थी गैस सिलेण्डरों का उपयोग नहीं करेगा।
4. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध फर्द मौका जक्ती तथा जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी सरकार पैरोकार के आरोप अनुसार श्री दीपक सैनी पुत्र श्री कृष्ण सैनी, देसी जायका होटल बहरोड, जिला कोटपूतली-बहरोड द्वारा एल.पी.जी. घरेलू सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन किया गया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जक्ताशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा मय 6.2 किग्रा. एलपीजी सिलेण्डर को राजसात किया जाना उचित समझते हैं।
5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा मय 6.2 किग्रा. एलपीजी सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी कोटपूतली-बहरोड को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।
6. निर्णय प्रति जिला रसद अधिकारी कोटपूतली-बहरोड को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।
7. निर्णय आज दिनांक 6/4/2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
 उभयपक्षीरिषिालजिलाःकलरक्टर  
 कोटपूतली-बहरोड